सरकार की जमीन पर 'नौकरों' का अवैध कब्जा

जासं, इलाहाबाद : सरकारी जमीन पर खुलेआम सरकारी कर्मचारी अवैध कब्जा करके बैठे हैं। जिम्मेदार अफसर इसे ध्वस्त कराने की बजाय बचाव में जुटे हैं। टीबी अस्पताल की जमीन पर हाल ही में ढहाए गए निर्माण में यह मिलीभगत सामने आई है। इस जमीन पर अभी भी बड़े पैमाने पर कब्जा है। अफसरों से निराश एक नागरिक ने इस मामले की सीबीआइ से शिकायत की है। सरकारी जमीन पर यों तो शहर में जगह-जगह अवैध कब्जे हो रहे हैं और हजारों की संख्या में अवैध निर्माण भी हो गए हैं। लेकिन अवैध कब्जाधारकों में सरकारी कर्मचारियों की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। कुछ समय पहले ही एक तहसीलदार ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लॉज बनवा लिया। अब टीबी अस्पताल का मामला सामने आया है। तेलियरगंज में टीबी अस्पताल के लिए राजकीय आस्थान से करीब 20 हेक्टेयर जमीन आवंटित है। अस्पताल और तहसील के कर्मचारियों की मिलीभगत से ये अधिकांश जमीन अवैध कब्जे का शिकार हो गई है। यहां बड़ी संख्या में भवन, दुकानें और निजी स्कूल तक बना लिए गए हैं। बीते साल तत्कालीन एसडीएम टीके शिबू ने जांच कराई तो इन कब्जों की पुष्टि भी हुई। यह भी पता चला कि यहां टीबी अस्पताल के एक कर्मचारी का भी अवैध कब्जा है। टीबी अस्पताल के सीएमएस के पत्र के आधार एसडीएम ने जमीन खाली कराने के आदेश भी जारी किए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इस दौरान उनका तबादला हो गया। अब तेलियरगंज में जोंधवल के निवासी एक व्यक्ति ने सीबीआइ को यह पूरा ब्यौरा भेजकर जांच और कार्रवाई कराने की मांग की है।

9/11/16
दैनिक जा॰

◆ सरकारी कर्मचारियों ने ही कर लिया टीबी अस्पताल की जमीन पर कब्जा

क्यों नहीं दर्ज कराया मुकदमा

इलाहाबाद : हाल ही में टीबी अस्पताल की जमीन पर दस अवैध निर्माण प्रशासन ने ढहाए थे। राजकीय आस्थान के प्रभारी एसडीएम सदर ने इस काम में एडीए और नगर निगम का सहयोग भी लिया था। मगर एक शख्स के अलावा बाकी नौ अवैध कब्जाधारियों पर मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया। न ही इस जमीन को बेचने वाले भूमाफिया के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कराया गया। जबकि ध्वस्तीकरण के दिन ही मंडलायुक्त राजन शुक्ला ने कहा था कि वे इस बारे में डीएम को निर्देशित करेंगे। डीएम संजय कुमार ने भी सोमवार को स्पष्ट कहा कि अवैध निर्माण करने वालों और भूमाफिया पर मुकदमा दर्ज कराया जाना चाहिए और वे इस बारे में निर्देश देंगे। बावजूद इसके मंगलवार तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ।